न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 28/2014

बउनवान

सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल जिला–बारां **(प्रार्थी)**

बनाम

1. नाथूलाल पुत्र औंकार (मृतक)
1/1. रामकरण
1/2. छोटूलाल
1/3. रामनिवास पुत्रगण नाथूलाल
1/4. कैलाशीबाई
1/5. कान्तीबाई
1/6 बनासीबाई पुत्रियां नाथूलाल जातिगण खटीक निवासीगण बमोरीकलां तह.मांगरोल

(अप्रार्थीगण)

रेफरेन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. पेरोकार सरकार **(प्रार्थी)**
2. श्री जयेश सक्सेना, अभिभाषक **(अप्रार्थीगण)**

आदेश दिनांक– 11.05.2022

1– प्रार्थी सरकार जर्ये तहसीलदार, मांगरोल ने रेफरेंन्स प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा–82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वर्तमान में अप्रार्थी के खाते विवादित आराजी ख0नं0 346 रकबा 0.63 है., किस्म नहरी वाके ग्राम बमोरीकलां तहसील–मांगरोल राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2069–72 खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के सेटलमेंट पूर्व मुताबिक मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2044–63 साबिक खसरा नम्बर 275 रकबा 4 बीधा 14 बिस्वा रहे है, जो जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 में किस्म गै.मु. तलाई दर्ज है। उक्त आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1956 की धारा–16 के अन्तर्गत [illegible] भूमि है। इसलिये अप्रार्थी को किया गया आवंटन नियम विरूद्व है। प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में डी.बी.सिविल [illegible] निर्णय दिनांक 02.08.2004 में भी ऐसी भूमि के आवंटनों को विधि विरूद्व मानते हुए आवंटन निरस्त किये जाने के निर्देश दिये है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:36 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज॰)

अतः उक्त आवंटन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा–16 के तहत अवैधानिक है तथा डी0बी0 सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान

बनाम सरकार में माननीय राज. उच्च न्यायालय, जयपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 अनुसार ऐसी आराजी को पूर्ववत दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः आवंटन निरस्त किया जाकर, भूमि को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

2— प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर, अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुये। तथा अप्रार्थी कम 1/3 ने जर्ये अभिभाषक जवाब इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी के पिता को ग्राम बमोरीकलां की उक्त आराजी आवंटन हुयी थी। प्रार्थी के पिता का देहान्त हो चुका है तथा पारिवारिक बंटवारे में उक्त आवंटनशुदा आराजी प्रार्थी के हिस्से में आयी है जिस पर प्रार्थी काबिज काश्त है। सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उक्त आराजी को तलाई दर्ज कर दिया जबकि वहां पर मौके पर तलाई भी नहीं है, न ही उसमें पानी भरता है तथा उक्त आराजी के चारों ओर खेती होती है। प्रार्थी के हिस्से में इस आराजी के अलावा अन्य कोई जमीन नहीं है। प्रार्थी एक अनुसूचित जाति का सदस्य है। अतः उक्त कार्यवाही निरस्त फरमायी जाकर आवंटन को बहाल करने की कृपा करें।

3— अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी।

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज०)

4— बहस के स्तर पर अभिभाषक अप्रार्थी एवं अप्रार्थी स्वंय अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस पेरोकार सरकार की सुनी।

5— बहस के दौरान पेरोकार सरकार ने प्रार्थनापत्र के समर्थन में निवेदन किया कि ग्राम बमोरीकलां की आराजी साबिक खसरा नम्बर 275 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई को भू प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट कार्य अप्रार्थीगण के पिता के अवैधानिक रूप से खाते दर्ज कर दिया। जिस वक्त खाते दर्ज की गयी उस वक्त विवादित आराजी की किस्म गै.मु.तलाई थी, जो आवंटन/नियमन योग्य भूमि नहीं थी। विवादित आराजी के बाद सेटलमेंट ख0नं0 346 रकबा 0.63 है. बने है जो वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जिसकी किस्म नहरी दर्ज है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा—16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य उपलब्ध नहीं थी। अप्रार्थी को उक्त आवंटन/नियमन नियम विरूद्व हुआ है। ऐसे नियम विरूद्व आंवटन/नियमन प्रारम्भतः ही शून्य है, जिसे किसी भी दशा में मान्यता नहीं दी जा सकती। वादग्रस्त आराजी [illegible]हियॉ हुई है, वह निरस्त योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:36 IST
Reason: SelfAttested

डी0बी0सिविल [illegible] 536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान [illegible]पुर द्वारा पारित आदेश दिनांक2.08.2004 अनुसार भी ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार उक्त आवंटन/नियमन को निरस्त किया जाकर, पूर्ववत उक्त आराजी को गै.मु.तलाई दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थी तहसीलदार,

जिला कलक्टर बारां (राज०)

मांगरोल द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थनापत्र धारा–82 भू राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाकर, रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को अग्रेषित किया जावे।

6– हमने पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि सेटलमेंट पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2014–23 अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 275 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई खाता सरकार दर्ज है। जिसका अप्रार्थीगण के पिता को आवंटन/नियमन किया गया है।

उक्त भूमि के बाद सेटलमेंट संवत 2044–63 नये खसरा नम्बर 346 रकबा 0.63 है० बने है। उक्त आराजी वास्तविक रूप से सेटलमेंट पूर्व किस्म गै.मु.तलाई दर्ज थी जिसका आवंटन/नियमन अप्रार्थी के पिता को विधि विरूद्व हुआ है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी०बी० सिविल रिट जनहित याचिका संख्या 1536/03 उनवान अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 2.8.2004 में ऐसी आराजी को पूर्ववत स्थिति में दर्ज किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये है। इसलिये हम उक्त आवंटन/नियमन को विधि विरूद्व मानते हुए, आवंटन/नियमन निरस्त करने के लिये रेफरेंन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में अग्रेषित किया जाना उचित समझते है।

7– परिणास्वरूप, प्रार्थी जर्ये तहसीलदार, मांगरोल का रेफरेन्स प्रार्थनापत्र स्वीकार कर, अप्रार्थीगण के वर्तमान में वाके ग्राम बमोरीकलां में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 346 रकबा 0.63 है० किस्म नहरी, जो मूल रूप से सेटलमेंट पूर्व साबिक खसरा नम्बर 275 रकबा 4 बीघा 14 बिस्वा किस्म गै.मु.तलाई से बना है जिसका अप्रार्थीगण के पिता को गलत रूप से आवंटन/नियमन हुआ है, आवंटन/नियमन निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–82 के अन्तर्गत रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में प्रेषित किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मांगरोल को आदेश दिये जाते है कि इस न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त कर, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर में राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर, अन्दर मियाद रेफरेंस प्रस्तुत करे तथा सावचेत होकर प्रकरण में पैरवी सुनिश्चित करे।

8– तहसीलदार, मांगरोल को यह भी निर्देश दिये जाते है कि प्रश्नगत आवंटन/नियमन की गई आराजी वर्तमान में अप्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज है। जमाबन्दी खाते पर रेफरेंस पेश होने का इन्द्राज लाल स्याही से राजस्व रेकार्ड में अंकित करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.06.01 10:46:36 IST
Reason: SelfAttested

आदेश आज दिनांक 11.05.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)